भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 741
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

मुकदमेबाजी की लागत

741 डा. वी. शिवादासन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के वकीलों और सरकार द्वारा नियुक्त विधि अधिकारियों के अलावा अन्य काउंसेलों को कितना भुगतान किया गया है ;

(ख) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली मुकदमेबाजी की कुल लागत कितनी है ; और

(ग) सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं अथवा परामर्शदाता के चयन के लिए मानदंड क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

भाग (क) और (ख) : मुकद्मेबाजी के संबंध में व्यय की सूचना नीचे सारणीबद्ध है :

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	उपगत व्यय (रू0)
1.	2018-19	590732191/-
2.	2019-20	730717250/-
3.	2020-21	622173605/-
4.	2021-22	586892043/-
5.	2022-23	701111922/-

(ग) : उन अधिवक्ताओं या काउसेंल के चयन के लिए मानदंड जो भारत संघ के लिए उपस्थित होते है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता के रुप में रजिस्टर अधिवक्ता है ।

****